संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना): (क) जी,हां । मध्य प्रदेश सरकार को निम्नलिखित योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है :-

क्रम सं.	योजना	स्वीकृत की गई राशि
1.	1990-91 अपर लेक,भोपाल के लिए जल क्रीड़ा उपकरण	10 09
2.	1990-91 शिवपुरी के लिए नौकाएं	1.83
3.	1991-92 तिगार बांध और नारवाड़,ग्वालियर के लिए जल-क्रीड़ा उपकरण	11.20
4.	1991-92 तावा बांध के लिए जल-क्रीड़ा उपकरण और तम्बुओं में आवास	13.61
5.	1991-92 तम्बुओं में आवास	6.00
6.	1991-92 पन्ना राष्ट्रीय पार्क में आधारित संरचना की व्यवस्था	19.54
7.	1991-92 तम्बुओं के आवास	3.50
8.	1993-94 औरछा के लिए तम्बु	2.85
9.	1994-95 अपर लेक,भोपाल के लिए होवर काफ्टस	6.22

(ख) विभाग के लिए साहसिक क्रीड़ाओं की अनुमोदित योजनाओं को केन्द्रीय सहायता देने के लिए प्राथमिकता देने हेतु प्रतिवर्ष राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है । प्राथमिकता देने के लिए की गई बैठकों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करने के लिए,धन की उपलब्धता की शर्त पर सभी राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है । चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के लिए 18 लाख रू. की कुल केन्द्रीय सहायता से खजुराहों,पंचमढ़ी और औरछा में विभिन्न स्थानों पर जल-क्रीड़ा सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई हैं । मध्य प्रदेश सरकार से विस्त्त प्रस्तावों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

पर्यटन केन्द्रों में बेहतर आवास की व्यवस्था

2325.**प्रो.विजय कुमार मल्होत्रा**: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा देश के पर्यटन केन्द्रों में खाने-पीने और ठहरने का बेहतर प्रबंध करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की सभी पयर्टन केन्द्रों में सफाई और शुद्व पेय जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने के संबंध में कोई योजना है;

(ग) क्या देश के सभी पयर्टन केन्द्रों के संबंध में पूर्ण सूचना देने वाला कोई सरकारी प्रकाशन है;और

(घ) यदि नहीं,तो क्या सरकार ऐसा कोई प्रकाशन जारी करने पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त चैना): (क) और (ख) विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास/सुधार करना मुख्यत: राज्य सरकारों को जिम्मेदारी है । तथापि,पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को पर्यटन परिसरों मार्गस्थ सुख-सुविधाओं,पर्यटक स्वागत केन्द्रों,शैचालय सुविधाओं और पीने के पानी की सुविधाओं का निर्माण करने के लिए केन्द्रय वित्तीय सहायता प्रदान करता हैं ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग देश के विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के पर्यटक स्थलों/परिपथों पर प्रचार साहित्य प्रकाशित करता है ।